# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0413/2021 तारीख रजू:– 22.09.2021
पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह
R.A.S.

भौरया पुत्र घीस्या जाति माली निवासी प्रहलाद कुण्ड,जवा वाला कुआ, हिण्डौन जिला करौली———————————————— वादी

बनाम

1. लीला | पिसरान आनन्दा जाति माली निवासी प्रहलाद कुण्ड,
2. अमरसिंह | जवा वाला कुआ, हिण्डौन जिला करौली
3. मुस0 रामश्री पुत्री आनन्दा पत्नि मोहनलाल जाति माली निवासी मिर्जापुर तहसील वैर जिला भरतपुर ।
4. मु0 रूमा पुत्री आनन्दा पत्नि रामकिशन जाति माली निवासी मिर्जापुर तहसील वैर जिला भरतपुर ।
5. मुकेश | पिसरान भगवत | जाति माली निवासी प्रहलाद कुण्ड
6. चतरू
7. सुरेश | जवा वाला कुआ, हिण्डौन जिला करौली
8. क़िरणदेई पुत्री भगवत
9. मोहरबाई पत्नि भगवत
10. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन ——————————प्रतिवादीगण

## दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट वादी
2.श्री अशोक नीमनका एडवोकेट प्रतिवादी सं03 ता 8

## निर्णय

दिनांक :– 29-9-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही कुटुम्ब के सदस्य हैं जिनका सजरा अंकित किया है जिसमें घीस्या (फौत), घीस्या

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दो लडका भौरया वादी व आनन्दा (फौत) हैं। आनन्दा के तीन पुत्र लीला, गवत (भगवत), अमरसिंह हैं तथा दो पुत्री रामश्री व रूमा है, मृतक भगवत के ीन पुत्र मुकेश चतरू सुरेश एवं एक पुत्री किरणदेई व उसकी बेबा मोहरबाई है।

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि घीस्या दिनांक 29.03. 995 को फौत हो गया है तथा घीस्या के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात हाल खसरा नम्बर 7499 रकबा 0.25 है0, 7509 रकबा 0.45 है0, 7510 रकबा 0.07 है0, 7525 रकबा 0.26 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.03 है0 वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली में स्थित है तथा उक्त आराजीयात पर वादी अपने पिता के समय से ही मौके पर कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि आराजी हल खसरा नम्बर 7500 रकबा 0.11 है0, 7501 रकबा 0.09 है0, 7502 रकबा 0.09 है0, 7505 रकबा 0.13 है0, 7506 रकबा 0.13 है0, 7507 रकबा 0.12 है0, 7514 रकबा 0.25 है0, 7524 रकबा 0.26 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 1.18 है0 वाके कस्बा हिण्डौन साबिक खसरा नम्बर 5502, 5504, 5524, 5543, 5598 से बने हैं तथा उक्त साबिक खसरा नम्बरान वादी के बाबा गैंदा के कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि थी तथा गैंदा के फौत होने के पश्चात उक्त आराजीयात विरासत के आधार पर गैंदा के दोनों लडकों वादी भौरया व प्रतिवादीगण के पूर्वज आनन्दा के नाम खातेदारी होनी चाहिए थी, लेकिन भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों से साज कर प्रतिवादीगण के पूर्व आनन्दा ने अपने नाम उक्त भूमि की खातेदारी दर्ज करवा ली तथा वादी का नाम उक्त भूमि में बतौर खातेदार दर्ज नहीं होने दिया तथा आनन्दा ने भू–प्रबन्ध कर्मचारियों से साजकर आनन्दा के पिता का नाम घीस्या की जगह मोहनलाल व सोहनलाल दर्ज करा दिया, जिसका दुरूस्ती का दावा कर वादी को मुगालते में रखकर वादी से एकवालिया जबाव दिलवाकर प्रतिवादीगण के पिता आनन्दा ने उक्त भूमि को माननीय न्यायालय द्वारा डिकी कराकर अपने नाम खातेदारी में दर्ज करा लिया। इस प्रकार प्रतिवादीगण के पास अपनी पैत्रिक आराजीयात 1.18 है0 मौजूद हैं तथा प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात को काश्त करते चले आ रहे हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण, वादी व प्रतिवादीगण के बाबा घीस्या की उक्त खातेदारी की भूमि में भी आधा हिस्सा लेना चाहते हैं, जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है तथा प्रतिवादीगण के पास पैत्रिक आराजीयात की आधे हिस्से से करीब 15 एयर भूमि ज्यादा अपने नाम खातेदारी में दर्ज करा ली है, जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 19.08.2021 सुबह 10 बजे का है कि वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि भाईयों तुम आराजीयात मुतजिका मद नं02 को तहसील हिण्डौन में चलकर मेरे नाम खातेदारी में कराओं, तब प्रतिवादीगण ने कहा कि हमउ क्त भूमि में से भी 1/2 हिस्सा भूमि लेंगे तथा तुम्हें कब्जा काश्त से बेदखल करेंगे। तब वादी ने प्रतिवादीगण से हाथ जोडकर कहा कि उक्त भूमि मेरे नाम कराओ। तब प्रतिवादीगण ने आराजीयात मुतजिका मद नं02 को वादी के नाम कराने से साफ इन्कार कर दिया, इसलिए यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ।

वाद पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण ने आराजीयात मुतजिका मद नं02 वाद पत्र से वादी को बेदखल कर दिया तथा वादी के हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करा ली तो वादी व वादी के बाल बच्चे भूंखे मर जावेंगे, वादी को गांव छोडकर निकलना पडेगा, पक्षकारान में मुकदमेबाजी बढेगी, पक्षकारान बर्बाद हो जावेंगे, जिसकी पूर्ति दृव्य में भी सम्भव नहीं हो सकेगी, इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना कानूनन न्याय संगत है।

वाद पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रतिवादी सं010 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है, इनके खिलाफ कोई रिलीफ नहीं चाही गई है।

वाद पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 19.08.2021 को वादी को देने धमकी बाबत् बेदखल कर कब्जा करने आराजीयात मुतजिका मद नं02 वाद पत्र वादकारण उत्पन्न हुआ, दावा अन्दर म्याद पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बावत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जावे कि वादी आराजीयात हाल खसरा नम्बर 7499 रकबा 0.25 है0, 7509 रकबा 0.45 है0, 7510 रकबा 0.07 है0, 7525 रकबा 0.26 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.03 है0 वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली का खातेदार काश्तकार है तथा उक्त आराजीयात में घीस्या का नाम हजफ करने के आदेश फरमावें तथा इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश फरमावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात मुतजिका मद नं02 बाद पत्र के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा मजाहमत न तो स्वंय करें न ही किसी अन्य से करावें। ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे वादी के हक, हकूकों पर कोई विपरीत प्रभाव पडे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 11.10.2021 को प्रतिवादी सं0 1,2,9 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये तथा दिनांक 04.03.2022 को प्रतिवादी सं01,3,9 की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया। दिनांक 08.07.2022 को प्रतिवादी सं0 3 ता 8 की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश कर आदेशिका पर अंकित किया कि वादी का दावा डिकी करने में कोई आपत्ति नहीं है तथा उक्त अंकन के नीचे श्री अशोक नीमनका एडवोकेट ने अपने हस्ताक्षर किये हैं। प्रतिवादी सं010 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील वादी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071– 74, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किये है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और मुताबिक वाद पत्र वादी का दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया है तथा वकील प्रतिवादी सं

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

3 ता 9 ने वादी का दावा प्राथमिक डिकी किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है बल्कि अपनी सहमति व्यक्त की है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी सं0 2071– 74 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 7499 रकबा 0.25 है0, 7509 रकबा 0.45 है0, 7510 रकबा 0.07 है0, 7525 रकबा 0.26 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.03 है0 वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी घीस्या पुत्र गैंदा हिस्सा पूर्ण जाति माली निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार घीस्या की मृत्यु दिनांक 29.03.1995 को होना साबित है।

उपरोक्त विवचेन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 7499 रकबा 0.25 है0, 7509 रकबा 0.45 है0, 7510 रकबा 0.07 है0, 7525 रकबा 0.26 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.03 है0 वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी घीस्या पुत्र गैंदा हिस्सा पूर्ण जाति माली निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है, घीस्या के दो लडके वादी भौरया व प्रतिवादीगण के पूर्वज आनन्दा (फौत)है। प्रतिवादीगण के हिस्से में विवादित आराजीयात मुतजिका मद नं0 3 वाद पत्र आयी है तथा उसी पर उनका कब्जा काश्त एवं खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 7499 रकबा 0.25 है0, 7509 रकबा 0.45 है0, 7510 रकबा 0.07 है0, 7525 रकबा 0.26 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.03 है0 वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी घीस्या पुत्र गैंदा हिस्सा पूर्ण जाति माली के स्थान पर वादी के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है बल्कि उनके अधिवक्ता ने आदेशिका दिनांक 08.07.2022 पर अंकित किया है कि वादी का दावा डिकी करने में कोई आपत्ति नहीं है। जिससे साफ जाहिर होता है कि वादी के द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सही हैं तथा वादी उक्त विवादित आराजीयात मुतजिका मद नं02 वाद पत्र की खातेदारी अपने नाम कराने का अधिकारी साबित है। जब वादी उक्त विवादित आराजीयात मुतजिका मद नं02 वाद पत्र की खातेदारी अपने नाम कराने का

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी ( करौली )

जिला

अधिकार साबित हो चुका है तो वह प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष भी प्राप्त करने का अधिकारी साबित है। ऐसे हालात में वादी का दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 7499 रकबा 0.25 है0, 7509 रकबा 0.45 है0, 7510 रकबा 0.07 है0, 7525 रकबा 0.26 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.03 है0 वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी घीस्या पुत्र गैंदा हिस्सा पूर्ण जाति माली सा0देह के स्थान पर वादी भौरया पुत्र घीस्या जाति माली निवी प्रहलाद कुण्ड, जवा वाला कुआ, हिण्डौन जिला करौली को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 7499 रकबा 0.25 है0, 7509 रकबा 0.45 है0, 7510 रकबा 0.07 है0, 7525 रकबा 0.26 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.03 है0 वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे वादी के हक, हकूकों पर कोई विपरीत प्रभाव पडे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार तहसील हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29-9-22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अनूपसिंह )
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली